Title: Need to ensure that oil companies do not deduct more than the outstanding dues particularly from SC/ST oil dealers.

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में विभिन्न तेल कम्पनियां अनुसूच जाति और जनजाति के बेरोजगार नागरिकों को आरक्षण के तहत डीलरशिप देती हैं तथा कम्पनियां खुद गोदाम तथा शेरूम बनाकर देती हैं, जिसकी वसूली प्रति सिलेन्डर दो रुपए से काटती रहती हैं तथा खर्च राशि पूरी होने के बाद भी डीलरों से राशि काटती रहती है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के ऐसे डीलरों की तेल कम्पनियां इस तरह काफी नुकसान कर रही हैं। इसे रोकने के निर्देश देने का कट करें, जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति के हजारों लोगों को राहत मिलेगी।